

परिशिष्ट-4

कार्यालय उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला रतला (सशोधित) प्रश्न सं. 1928
विधानसभा प्रश्न क्रमांक 1928 का तारकितका उत्तर

परिशिष्ट "क"


| वर्ष | सीजन | कृषको द्वारा जमा प्रीमियम राशि (रूपये में) | बिधार्क |
|------|-------------|---|---------|
| 2016 | खरीफ 2016 | 80,398,172 | |
| 2016 | रबी 2016-17 | 71,16,3061 | |
| 2017 | खरीफ 2017 | 159,104,134 | |
| 2017 | रबी 2017-18 | 90,276,949 | |
| 2018 | खरीफ 2018 | 159,035,456 | |
| 2018 | रबी 2018-19 | 85,799,881 | |


उप संचालक,

किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला रतला


अनुभाग अधिकारी


कृषि विकास, जिला रतला
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मंत्रालय, भोपाल



संचालक


किसान कल्याण तथा कृषि विकास
मंत्रालय, भोपाल

विद्यान (भा प्रश्न क्रमांक 1928 नरसिंह (संशोधित)
प्रश्नांश 'घ' की जानकारी

| <p>घ वर्ष 2016 से दिसम्बर 2018 तक प्याज खरीदी भावान्तर भुगतान योजना में भुगतान पर अनुमानतः कितना व्यय हुआ तथा केन्द्र से कितना अनुदान प्राप्त हुआ?</p> | <p>वर्ष 2016 तथा 2017 में उद्यानिकी विभाग द्वारा प्याज की खरीदी नहीं की गई है। वर्ष 2018-19 में लागू भावान्तर भुगतान योजना अंतर्गत प्रदेश स्तर पर अधिसूचित मण्डियों में हुये कुल विक्रीते संध्यवहार का ई-उपार्जन पोर्टल पर दर्ज टेन्टेटिव चेकलिस्ट दिनांक 04.07.2019 अनुसार लहसुन एवं प्याज के विक्रय के आधार पर पात्रता अनुसार भुगतान की जानकारी का विवरण निम्नानुसार है:-</p> <p style="text-align: right;">राशि (करोड़ में)</p> <table border="1" data-bbox="606 694 1516 940"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>फसल का नाम</th> <th>भुगतान योग्य प्रोत्साहन राशि</th> <th>केन्द्र द्वारा प्राप्त अनुदान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>प्याज</td> <td>312.50</td> <td>केन्द्र द्वारा इस योजना में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>लहसुन</td> <td>552.48</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>864.98</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट:- भावान्तर भुगतान योजना/कृषक समृद्धि योजना में जिलों की क्रम अनुसार 864.98 करोड़ के विरुद्ध वर्ष 2018-19 में राशि रुपये 856.48 करोड़ जिलों को भुगतान किया जा चुका है। शेष राशि बजट आवंटन उपरांत जिलों को आवंटित किया जाएगा।</p> | क्र. | फसल का नाम | भुगतान योग्य प्रोत्साहन राशि | केन्द्र द्वारा प्राप्त अनुदान | 1 | प्याज | 312.50 | केन्द्र द्वारा इस योजना में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। | 2 | लहसुन | 552.48 | | | योग | 864.98 | |
|--|---|------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|---|-------|--------|---|---|-------|--------|--|--|-----|--------|--|
| क्र. | फसल का नाम | भुगतान योग्य प्रोत्साहन राशि | केन्द्र द्वारा प्राप्त अनुदान | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | प्याज | 312.50 | केन्द्र द्वारा इस योजना में कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | लहसुन | 552.48 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | योग | 864.98 | | | | | | | | | | | | | | | |


सहायक संचालक
किसान कल्याण तथा कृषि वि
मध्य प्रदेश, भोपाल


आयुक्त
उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी,
मध्य प्रदेश, भोपाल


अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग,
मंत्रालय, भोपाल